(46)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 360/पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.12.2016 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 60/अपील/2014-15.

बब्बू गौली वल्द मेंहगू गौली
निवासी- ग्राम बांगा तहसील आमला,
जिला बैतूल, म.प्र.

.....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती अंजीरा जौजे रामचरण
निवासी- ग्राम खेड़लीबाजार तह. आमला,
जिला बैतूल, म.प्र. .....अनावेदक

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, आवेदक
श्री एल.एम. खान, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/2/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 29.12.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका श्रीमती अंजीरा द्वारा तहसीलदार के समक्ष मौजा बांगा स्थित उसके स्वामित्व की भूमि खसरा क्र. 86 रकबा 10×10 भाग पर अनावेदक का अतिक्रमण हटाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण

क्र. 12/अ-70/2008-09 दर्ज कर दिनांक 18.07.2013 को अनावेदिका के पक्ष में आदेश पारित किया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, मुलताई के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13.12.2014 को आदेश पारित करते हुए तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील अग्राह्य की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 29.12.2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 250 के तहत जिस व्यक्ति को अवैध रूप से जमीन से बेकब्जा किया गया हो, उसे बेकब्जा किये जाने की तारीख से दो वर्ष के भीतर तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा अप्राधिकृत रूप से बेकब्जा किये गये व्यक्ति को कब्जा दिलवाये जाने का कानून है। संहिता की धारा 250 के तहत उल्लेखित दो वर्ष की समयावधि का प्रश्नगत मामले में पूरी तरह से उल्लंघन हुआ है। तर्क में यह भी कहा गया कि विचारण न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि धारा 250 के आवश्यक तत्व विवादित मामले में पूर्ण नहीं होने के बावजूद भी आवेदिका अंजीरा के पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया जो कि पूरी तरह विधि विरूद्ध एवं नियम विरूद्ध है। दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश भी विधि विरूद्ध होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं क्योंकि उनके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का परिशीलन नहीं किया गया तथा अंजीरा द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को ही स्वीकार कर विवादित आदेश पारित किये गये हैं। इसलिए भी उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं। तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार के समक्ष अब्बू द्वारा अपने साक्ष्य से तथ्य भलीभांति प्रमाणित किये गये थे कि विवादित भूमि पर अब्बू का कब्जा सालों से है एवं अपने साथियों के कथनों से भी उक्त तथ्य को प्रमाणित किया था, जिन पर विश्वास किये बिना आवेदक बब्बू को बेकब्जा करने के आदेश पारित कर दिये गये जो कि पूरी तरह से विधि विरूद्ध है एवं स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र 250 का परिसीमा अवधि से भी बाधित था एवं 250 के मानक प्रावधानों की पूर्ति नहीं करता था, इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा अनावेदिका का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया एवं दिनांक 18.07.2013 को अब्बू की बेदखली के आदेश पारित कर दिये गये, जो कि पूर्णत: विधि विरूद्ध है एवं स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका द्वारा जानबूझकर रास्ते के विवाद को लेकर आवेदक अब्बू को तंग करने के

आशय से धारा 250 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त तथ्यों की स्वीकृति भी अंजीरा द्वारा प्रतिपरीक्षण में की गई थी इसके बाद भी उक्त साक्ष्य को अनदेखा कर तहसीलदार द्वारा विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश भी विधि विरूद्ध होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है एवं निरस्त किये जाने योग्य हैं।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय एवं दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा किये गये सीमांकन दिनांक से अनावेदक का आवेदन पत्र समयावधि में था इसलिये आवेदक की समयावधि की आपत्ति निरस्ती योग्य है । अवैध कब्जे की धारा 250 में प्रावधानित समय परिसीमा, सीमांकन तिथि से प्रारंभ होगी । अतः इस संबंध अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है । इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

> "धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-12-2016 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-12-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर